रेलटेल
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
सीआईएन सं. L64202DL2000GOI107905

निविदा सं.: आरसीआईएल_पूके_2022-23_1393-1396 दिनांक : 15.06.2022
रेलटेल/पूर्वी क्षेत्र द्वारा 'उड़िसा राज्य के लिए ओ–स्वान उन्नयन कार्य के लिए जमीन आधारित टॉवरों की संरचना, परिवहन तथा निर्माण और 5 वर्षों के लिए उनके रखरखाव' के कार्य हेतु पात्र बोलीदाताओं से ई–बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।
निविदा सूचना/ और निविदा दस्तावेज **www.railtelindia.com, https://eprocure.gov.in** और **https://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध हैं। सभी भावी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल रेलटेल की वेबसाइट, सीपीपी पोर्टल और आईआरईपीएस पोर्टल पर अपलोड किये जाएंगे। बोलीदाताओं को अपनी बोलियां केवल आईआरईपीएस पोर्टल पर जमा करनी होंगी।

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में तथा
मै. वर्शिप इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका **पंजीकृत कार्यालय** 515, नौरंग भवन, 21 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

----**आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली)'' से ''पश्चिम बंगाल राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 6 जून, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों (14) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
515, नौरंग भवन, 21 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001
कृते मै. वर्शिप इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
जितेन्द्र कुमार शाही
स्थानः दिल्ली (निदेशक)
तिथिः 16.06.2022 DIN:00417134
फ्लैट नं. डी-4, सारदा कॉलोनी, सोयाबली, बर्बिल, क्योंझर, उड़ीसा-758035

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में तथा
मै. सारदा हाइट्स एंड डेल्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका **पंजीकृत कार्यालय** 515, नौरंग भवन, 21 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

----**आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली)'' से ''पश्चिम बंगाल राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 7 जून, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों (14) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
515, नौरंग भवन, 21 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001
कृते मै. वर्शिप इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
जितेन्द्र कुमार शाही
स्थानः दिल्ली (निदेशक)
तिथिः 16.06.2022 DIN:00417134
फ्लैट नं. डी-4, सारदा कॉलोनी, सोयाबली, बर्बिल, क्योंझर, उड़ीसा-758035

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में तथा
मै. सारदा मर्केन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड जिसका **पंजीकृत कार्यालय** 515, नौरंग भवन, 21 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

----**आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली)'' से ''पश्चिम बंगाल राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 8 जून, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों (14) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
515, नौरंग भवन, 21 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001
कृते मै. सारदा मर्केन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
जितेन्द्र कुमार शाही
स्थानः दिल्ली (निदेशक)
तिथिः 16.06.2022 DIN:00417134
फ्लैट नं. डी-4, सारदा कॉलोनी, सोयाबली, बर्बिल, क्योंझर, उड़ीसा-758035

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में तथा
मै. सिद्धू लीजिंग एंड फाइनांसिंग कम्पनी लिमिटेड जिसका **पंजीकृत कार्यालय** 515, नौरंग भवन, 21 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

----**आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली)'' से ''पश्चिम बंगाल राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 8 जून, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों (14) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
515, नौरंग भवन, 21 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001
कृते मै. सिद्धू लीजिंग एंड फाइनांसिंग कम्पनी लिमिटेड
दिनेश कुमार
स्थानः दिल्ली (निदेशक)
तिथिः 16.06.2022 DIN:03421833
15 ए पॉकेट बी, दिलशाद गार्डन, न्यू सीमापुरी, पूर्वी दिल्ली-110095

"फॉर्म नं. आईएनसी–26ए"
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, के मामले में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 41 जेसा की अब तक संशोधित किया गया है
और
जीआरवी होल्डिंग्स लिमिटेड
(पूर्व में कथूरिया लिजिंग और फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
CIN: U74899DL1995PLC068839
जिसका पंजीकृत कार्यालय : एक्स–415 शॉप नं. 12 फर्स्ट फ्लोर स्ट्रीट नं. 1 राम नगर, गधी नगर दिल्ली–110031 में है,
.....याचिकाकर्ता/आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 09 मई, 2022 को आयोजित अपनी अतिविशिष्ट आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्षम बनाने हेतु ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है।
कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :–
पंजीकृत कार्यालय : एक्स–415 शॉप नं. 12 फर्स्ट फ्लोर स्ट्रीट नं. 1 राम नगर, गधी नगर दिल्ली–110031
कृते आवेदक की ओर से
जीआरवी होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता/–
राजिन्द्र कुमार कथूरिया
तिथि : 15.06.2022 निदेशक
स्थान : दिल्ली डीआईएन : 00702429

ऋण वसूली ट्रिब्यूनल–III,
दिल्ली के समक्ष
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001
प्रकाशन सूचना
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना।
ओ.ए. नं. 423/2021 के मामले में
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ..आवेदक
बनाम
गुलाब सिंह ... प्रतिवादी
सेवा में,
डी–1. गुलाब सिंह
पुत्र श्री हरज्ञान निवासी
खसरा नं.338/2, ग्राम हेबतपुर,
दादरी, गौतमबुद्धनगर, शिव मंदिर
के पास, उत्तर प्रदेश– 203207
डी–2. सुनीता पत्नी श्री गुलाब सिंह,
निवासी खसरा नं 338/2, ग्राम हेबतपुर,
दादरी, गौतमबुद्ध नगर, शिव मंदिर के पास,
उत्तर प्रदेश–203207

जबकि उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध मामला दर्ज किया है और जहां अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह दिखाया गया है कि सामान्य तरीके से आपकी संपर्क करना संभव नहीं है, इसलिए अतः यह नोटिस आपको दिनांक 18.08.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे माननीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए विज्ञापन द्वारा जारी किया गया है। ध्यान दें कि उल्लिखित दिन से पहले आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, मामले की सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में मामला निर्धारित किया जाएगा।
चल रही महामारी की स्थिति के कारण सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए:–(i) सभी अधिवक्ता/वादीगण "सिस्को वीबेक्स" एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे: (ii) रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–I/और रिकवरी अधिकारी–II द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड"डीआरटी आधिकारिक पोर्टल यानी **"drt.gov.in"** पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत अगली तारीख से एक दिन पहले उपलब्ध होंगे।
(iii) किसी भी आपात स्थिति में अधिवक्ता/वादी779/ वादीगण संबंधित अधिकारी से फोन नंबर–23748469 पर संपर्क कर सकते हैं।
31 मई 2022 के दिन मेरे हाथ और इस ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत आदेश।
ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार

वाणी कमर्शियल्स लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 'आस्था', एलपी–11सी, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
CIN: L74899DL1988PLC106425
ईमेल आईडी: info@vanicommercials.com
फोन नं.: 011-40196434
सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है:
- बैठक की सूचना दिनांक 8 जून 2022 में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 9 जुलाई 2022 को प्रातः 11.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- कंपनी ने उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 35वीं एजीएम की सूचना भेजने का कार्य मंगलवार, 14 जून, 2022 को पूरा कर लिया है जिनके ई–मेल पते शुक्रवार, 10 जून 2022 ("कट–ऑफ तिथि") को कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।
- वार्षिक आम बैठक की सूचना सीडीएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com से देखी/ डाउनलोड की जा सकती है। इसकी भौतिक प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से दोप. 12.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के विनियम 42 के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक कथित वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु बुधवार, 6 जुलाई, 2022 से शुक्रवार 8 जुलाई, 2022 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जो कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2015 के द्वारा यथसंशोधित किया गया है और सूचीयन विनियम के विनियम 44 के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय के संबंध में सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त ई–वोटिंग एवं रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। ई–वोटिंग के लिए प्रस्तुत वेबसाइट www.evotingindia.com है।
- ई–वोटिंग की सुविधा बुधवार, 6 जुलाई, 2022 (सुबह 9:00 बजे) से शुक्रवार 8 जुलाई, 2022 (शाम 5:00 बजे) तक उपलब्ध होगी, उसके बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 1 जुलाई, 2022 है।
- कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि आप रिमोट ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपनी वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ एवं परेशानी के मामले में आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल भेज सकते हैं या श्री राकेश दल्ली, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन यूचुरैक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई–400013 से या फोन 1800–22–5533 पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
वाणी कमर्शियल्स लिमिटेड
हस्ता./–
इशिता अग्रवाल
कंपनी सचिव और
अनुपालन अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 14.06.2022 **सदस्यता संख्या.** 65528

ETT LIMITED
CIN: L22122DL1993PLC123728
Regd. Office: 17, Hemkunt Colony, New Delhi - 110 048 | **Tel:** +91 11 4656 7575
Website: www.ettgroup.in | **E-mail:** secretarial@ettgroup.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING
Notice is hereby given that ETT Limited ('the Company') is seeking approval of the members of the Company by way of postal ballot through remote e-voting on the following resolutions being special resolution:

Resolution No.	Description of Special Resolution
1.	To give loans, inter corporate deposits, give guarantees in connection with loans made by any person or body corporate and acquire by way of subscription, purchase or otherwise the securities of any other body corporate in excess of the limits prescribed in section 186 of the Companies Act, 2013
2.	To approve granting of loan to M/s Appreciate Fincaap Private Limited, being a related party transaction
3.	To approve granting of loan to M/s Amici Securities Limited, being a related party transaction

The Postal Ballot Notice ('Notice') is available on the website of the Company at www.ettgroup.in, the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'), e-Voting facility provider at www.evotingindia.com.

In compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020; 17/2020 dated April 13, 2020; 22/2020 dated June 15, 2020; 33/2020 dated September 28, 2020; 39/2020 dated December 31, 2020; 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021 and 03/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars'), the Company has sent the postal ballot notice on June 15, 2022, only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, June 10, 2022 ('Cut-off Date'). Accordingly, hard copy of the Notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope has not been sent to the Members for this Postal Ballot.

The Company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility to its Members. The voting period begins on Saturday, June 18, 2022 at 09.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, July 17, 2022 at 05.00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the names of the Members as on Cut-off Date. Once vote on a resolution is cast, the Member will not be able to change it subsequently. Please note that communication of the assent or dissent of the Members would take place through remote e-Voting only. Members who have not registered their e-mail addresses with the Company may register the same by following the procedure provided in the Notice.

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Naresh Verma, Practicing Company Secretary, (Membership No. FCS 5403 and CP No. 4424) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-Voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director of the Company or any other authorized person of the Company after the completion of scrutiny, and the result of the e-Voting will be announced by the Managing Director or any Director or Key Managerial Personnel of the Company duly authorized, on or before Tuesday, July 19, 2022 at the Registered office of the Company and will also be displayed on the Company website www.ettgroup.in and communicated on the same day to BSE Limited, Depository, Registrar and Share Transfer Agent on the said date.

For **ETT Limited**
Sd/-
Puniti Sharma
(CFO & Company Secretary)
FCS No.: 8172
Date: June 15, 2022
Place: New Delhi

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः
प्लेट–ए, छठा तल, ऑफिस ब्लॉक टॉवर–2,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
दूरभाष नं.: +91–11 22900600 **फैक्सः** +91– 11 22900699
वेबसाइटः www.railtelindia.com; **ई–मेलः** cs@railtelindia.com;
सीआईएनः L64202DL2000GOI107905

पोस्टल बैलेट और रिमोट ई–वोटिंग की सूचना
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी नीचे उल्लिखित व्यावसायिक मद (मदों) पर रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा अपने सदस्यों का अनुमोदन मांग रही है

मद सं.	संकल्प(पों) का विवरण	संकल्प(पों) का प्रकार
1	श्रीमती अरुणा सिंह की नियुक्ति कंपनी के सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में रोटेशन से कार्यभारमुक्त होने के लिए अधीन हैं	साधारण संकल्प
2	डॉ. सुभाष शर्मा की नियुक्ति कंपनी के अंशकालिक गैर–सरकारी/स्वतंत्र निदेशक के रूप में रोटेशन से कार्यभार मुक्त होने के लिए अधीन नहीं हैं।	विशेष संकल्प
3	श्री एन. मनोहरन की कंपनी के अंशकालिक गैर–सरकारी/स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति जो रोटेशन से कार्यभार मुक्त होने के लिए अधीन नहीं हैं।	विशेष संकल्प
4	श्री अविनाश मधुकरराव घाटे की नियुक्ति पर ध्यान दें इन्हें 09/11/2021 से 02/03/2022 की अवधि के लिए कंपनी के अंशकालिक गैर–सरकारी/स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।	विशेष संकल्प
5	श्री वी. शंकर की नियुक्ति कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में रोटेशन से कार्यभारमुक्त होने के लिए अधीन नहीं हैं।	साधारण संकल्प
6	श्री राकेश रंजन की नियुक्ति कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक रूप में रोटेशन से कार्यभारमुक्त होने के लिए अधीन नहीं हैं।	साधारण संकल्प

पोस्टल बैलेट नोटिस व्याख्यात्मक विवरण और ई–वोटिंग के निर्देशों के साथ कंपनी की वेबसाइट **www.railtelindia.com,** स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड **www.bseindia.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.nseindia.com** पर और ई–वोटिंग एजेंसी "एनएसडीएल" की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध हैं।
पोस्टल बैलेट कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार है, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियमों') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग)बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 विनियम 44 के साथ पढ़ा जाता है।
कोविड –19 महामारी के प्रकोप के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08/04/2020, 17/2020 दिनांक 13/04/2020, 22/2020 दिनांक 15/06/2020, 33/2020 दिनांक 28/09/2020, 39/2020 दिनांक 31/12/2020, 10/2021 दिनांक 23/06/2021, 20/2021 दिनांक 08/12/2021, 3/2022 दिनांक 05/05/2022 के माध्यम से और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र और अधिसूचनाएं (इसके बाद सामूहिक रूप सेएमसीए परिपत्रों के रूप में संदर्भित) ने कंपनियों को केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोटिस भेजकर डाक मतपत्र आयोजित करने की अनुमति दी है।
पोस्टल बैलेट नोटिस और ई–वोटिंग निर्देश यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजे गए हैं जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम **शुक्रवार, 10 जून, 2022** ("कट–ऑफ तिथि") को सदस्यों/ बेनिफिशियल ओनर की सूची के रजिस्टर में दर्ज हैं। । सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अनुपात में होंगे। कंपनी ने **बुधवार, 15 जून, 2022** को उन सदस्यों को जिनके ई –मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत थे ई–मेल के माध्यम से नोटिस भेजने का कार्य पूरा कर लिया है, ।
सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को एक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग **गुरुवार, 16 जून, 2022 (पूर्वाह्न 11:00 बजे)** को शुरू और **शुक्रवार 15 जुलाई, 2022 (अपराह्न 5:00 बजे)** को समाप्त होनी है। इसके बाद ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सदस्यों की सहमति या असहमति रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगी। केवल वे सदस्य जिनके नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों/ बेनिफिशियल ओनर की सूची के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। ऐसा व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, उसे इस पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से माना जाना चाहिए।
कंपनी ने श्री एन के सिन्हा, मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नोएडा, (सीओपी नंबर 14984 और एफसीएस 1807) के स्वामी को इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग के परिणाम **मंगलवार, 19 जुलाई, 2022** को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और उक्त परिणाम स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट **www.railtelindia.com** और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर प्रदर्शित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों (अर्थात् बीएसई और एनएसई) को भी सूचित किया जाएंगे।
ई–वोटिंग से संबंधित पूछताछ के मामले में सदस्य'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) से सहायता ले सकते हैं और **www.evoting.nsdl.com** से ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं या **NSDL** के 18001020990 या 1800224430 टोल फ्री नंबरों पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री सरिता मोटे को **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजें ।
टिप्पणिय